

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या- 578 /एक-1-2020-24(1)/2018

लखनऊ: दिनांक: 11 जून, 2020

अधिसूचना

(संशोधन)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) व (घ) द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1773/एक-1-2019-24(1)/2018 दिनांक-31.10.2019 द्वारा जनपद मीरजापुर के विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रबंधन में निहित कुल 85 गाटा कुल रकबा 470.304 हे० भूमि का पुनर्ग्रहण करते हुए मै० जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा जनपद सोनभद्र में अस्थायी रूप से प्रस्तावित प्रयोग के लिए वांछित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि को बनीकरण हेतु वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निर्वर्तन पर रखने की अनुमति प्रदान की गयी थी। सम्प्रति मै० जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा उक्त सीमेंट फैक्ट्री दिनांक 29.06.2017 को मै० अल्ट्राटेक सीमेंट लि० को विक्रय कर दी गयी है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल शासन द्वारा निर्गत उपरोक्त अधिसूचना संख्या-1773/एक-1-2019-24(1)/2018 दिनांक 31.10.2019 में जहाँ-जहाँ मै० जे०पी० एसोसिएट्स लि० अंकित है, के स्थान पर मै० अल्ट्राटेक सीमेंट लि० का नाम अंकित किए जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

तदनुसार अधिसूचना संख्या-1773/एक-1-2019-24(1)/2018 दिनांक-31.10.2019 संशोधित समझी जाये। उक्त अधिसूचना दिनांक 31.10.2019 के शेष प्राविधान एवं शर्तें यथावत लागू रहेंगे।

आज्ञा से,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, भू-तत्व खनिकर्म, उ०प्र० शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- मण्डलायुक्त विंध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
- 6- जिलाधिकारी, मीरजापुर को उनके पत्र संख्या-349/जी०भू०व्यव०लि०/पुनर्ग०पत्रा०-49/2019 दिनांक-26/06/2019 के आलोक में।
- 7- मै० जे०पी० एसोसिएट्स लि० विष्णु सदन, 5 पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ-226001
- 8- प्रबन्ध निदेशक, अल्ट्राटेक सीमेंट लि० अहूरा सेन्टर, बी-विंग, 2 फ्लोर, महाकाली केम्स, अंधेरी (ईस्ट) मुंबई-400093
- 9- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को गजट में प्रकाशित कर उसकी 15 मुद्रित प्रतियां राजस्व अनुभाग-1 उ०प्र० शासन को उपलब्ध कराएं।
- 10- गार्ड फाइल।

For UltraTech Cement Limited


(Authorised Signatory)

आज्ञा से,

(घनश्याम चतुर्वेदी)
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या- १२२३ /एक-1-2019-24(1)/2018

लखनऊ: दिनांक: ३१ अक्टूबर, 2019

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) व (घ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-अ०मु०स०-339/एक-1-2018-24(1)/2018 दिनांक-10/05/2018 तथा अधिसूचना संख्या-300/एक-1-2019-24(1)/2018 दिनांक-08/03/2019 को निरस्त करते हुए नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो इस अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबंधन में निहित की गयी थी, का पुनर्ग्रहण करते हुए अनुसूची के पश्चात् उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन मै०जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा जनपद सोनभद्र में अस्थायी रूप से प्रस्तावित प्रयोग के लिए वांछित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि को वनीकरण हेतु वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं :-

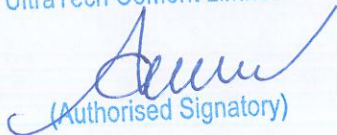
अनुसूची

जनपद- मीरजापुर

क्र० सं०	नाम तहसील	नाम ग्राम	भूमि की श्रेणी	नाम खातेदार	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे०मे)
1	2	3	4	5	6	7
1	सदर	सिन्धोरा	6-4	पहाड़	1000	5.263
2					1007	39.911
		योग:-			2 गाटा	45.174
3	चुनार	चकगम्भीरा	6-4	पहाड़	114 मि०	127.502
		योग:-			1 गाटा	127.502
4	मडिहान	रैकरा	5-3-ख	झाड़ी	699चमि	3.694
5			5-3-ड	बंजर	95 मि०	0.379
6					96ख	0.550
7					101इमि०	2.126
8					108यमि०	4.238
9					148ग/4	0.430
10					206	1.400

-2-

For UltraTech Cement Limited


(Authorised Signatory)

11					223मि०	0.645
12					241क	0.460
13					278इमि०	0.400
14					289	0.300
15					304ख	2.800
16					395क	0.250
17		5-1	नई परती		108ठ	11.690
18					110चमि	0.380
19					302ख	0.640
		योग:-			16 गाटा	30.382
20	लालगंज	मतवार	5-3-ख	जंगल झाड़ी	54ख	0.051
21					54गमि०	1.187
22					56खमि०	0.708
23					59ख	3.490
24					59इ	3.971
25					61ख	2.845
26					65ख	12.633
27					69ख	1.328
28					488ख	5.919
29					499ख	2.276
30					506घ	1.934
31					781ख	1.252
		योग:-			12 गाटा	37.594
32		नौदर	6-4	पहाड़	1कमि०	17.769
		योग:-			1 गाटा	17.769
33		पुरा काशीनाथ	6-4	पहाड़	235मि०	16.046
		योग:-			1 गाटा	16.046
34		उरुआ	6-4	पहाड़	64ष	3.718
35					65	1.372
36					78य	25.378

		योग:-	3 गाटा	30.468
37	मानिकपुर	6-4 रानीबारीपहाड	3छ	9.131
		योग:-	1 गाटा	9.131
38	बड़ौहा	6-4 पथरैल	623क	6.930
39			649च	4.000
40		6-4 पहरी	651	22.307
41			561ड	15.224
		योग:-	4 गाटा	48.461
42	परसिया मुडपेली	6-4 पथरीली	2क	2.000
43			4छ	8.000
44			686घ	22.600
45			995ख	2.000
46			998च	5.000
		योग:-	5 गाटा	39.600
47	महोखर	6-4 पथरीली	14ग	0.025
48			15ख	0.506
49			16क	3.506
50			17क	0.101
51			19ख	0.126
52			45ग	0.025
53			48ख	0.190
54			50क	0.038
55			71ख	0.190
56			72घ	0.139
57			76क	6.000
58			87ख	0.025
59			91ख	0.531
		योग:-	13 गाटा	11.402
60	पौड़ी रामपुर	6-4 पथरीली	258घ	0.253
61			438घ	5.729

62				474ख	6.717
63				477ड	1.999
64				500ख	1.417
65				501ख	0.190
66				482ख	0.936
67				477गमि	0.620
68				473ख	0.278
69				442ख	0.076
	योग:-			10 गाटा	18.215
70	बरहुला	5-3-ड	बंजर	126क	0.341
71				135च	6.007
72				141	1.480
73				143	0.304
74				144	2.162
75				145	0.278
76				147	1.417
77				148क	1.163
78				148ख	1.871
79				148ग	1.770
80				151कमि	0.544
81				153	4.339
82		5-1	नई परती	153मि0	3.542
83				107च	0.645
84		6-4	पथरैल	85	7.735
85				102क	4.962
	योग:-			16 गाटा	38.560
	सम्पूर्ण योग:-			85 गाटा	470.304

(1)- मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दि0-04/05/2016 के अनुपालन व प्रदेश में औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम सभा भूमियों का पुनर्ग्रहण अपरिहार्य परिस्थितियों के दृष्टिगत किया जा रहा है। ग्राम सिन्धोरा तहसील-सदर, ग्राम चकगम्भीरा तहसील-चुनार, ग्राम-रैकरा तहसील-मडिहान तथा ग्राम-मतवार, नौदर, पुरा काशीनाथ,

For UltraTech Cement Limited

(Authorised Signatory)

उरुआ, मानिकपुर, बड़ौहा, परसिया मुड़पेली, महोखर, पौड़ी रामपुर, बरहुला तहसील-लालगंज जनपद-मीरजापुर की कुल 85 गाटा कुल रकबा 470.304 हे0 ग्राम सभा भूमि का पुनर्ग्रहण इस शर्त के अधीन किया जा रहा है कि उक्त भूमि मै0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 को अंतरण किये जाने के साथ-साथ एक ही संव्यवहार में भूमि वन विभाग को अंतरित कर दी जायेगी। उक्त अनुक्रम हेतु कलेक्टर द्वारा एक त्रिपक्षीय अनुबंध निस्पादित कराया जायेगा।

(2)- कलेक्टर द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त भूमि का उपयोग केवल वनीकरण हेतु किया जायेगा। भूमि के अन्यथा उपयोग की दशा में पुनर्ग्रहण व अंतरण शून्य होगा।

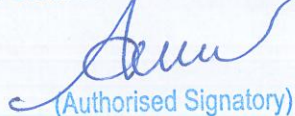
(3)- उक्त भूमि वन विभाग उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर रखते हुए वनीकरण हेतु दी जा रही है उक्त भूमि का मूल्य एवं उस पर दस वर्षों का अनुरक्षण सहित वृक्षारोपण व्यय मै0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा जमा/वहन किया जायेगा। शासनादेश सं0-744/एक-1-2016-20 (5)/2016 दि0-03.06.2016 के अनुसार पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार देय होगी। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रतिवर्ष देय होगा। पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया राजकोष में मै0जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा लेखाशीर्षक "0029-भू राजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ" के नाम जमा कराया जायेगा।

(4)- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 तथा राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक- 03.06.2016 के आलोक में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित कुल 85 गाटा कुल रकबा 470.304 हे0 भूमि का पुनर्ग्रहण वनीकरण हेतु विभाग, उत्तर प्रदेश शासन हेतु किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी।

(5)- कलेक्टर द्वारा इस आदेश की प्रतियाँ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा संबंधित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा कराया जाय तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित की जाय। उक्त अधिसूचना को उस क्षेत्र में प्रचलित दो समाचार-पत्रों, जिसमें से एक हिन्दी में होगा, में प्रकाशित किया जाय। उक्त की अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन व राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

(5)- कलेक्टर द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली-2016 शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-5(20)/2016 दिनांक- 03/06/2016 में

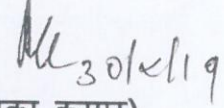
For UltraTech Cement Limited


(Authorised Signatory)

दिये गये दिशा-निर्देशों तथा उपरोक्त वर्णित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7)- उक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबंधों का अनुपालन जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

आज्ञा से,



(रेणुका कुमार)

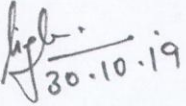
अपर मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

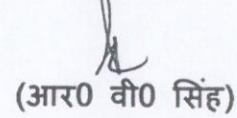
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, भू-तत्व खनिकर्म, उ०प्र० शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- मण्डलायुक्त विंध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
- 6- जिलाधिकारी, मीरजापुर को उनके पत्र संख्या-349/जी०भू०व्यव०लि०/पुनर्ग्र०पत्रा०-49/2019 दिनांक-26/06/2019 के आलोक में।
- 7- मै० जे०पी० एसोसिएट्स लि० विष्णु सदन, 5 पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ-226001
- 8- प्रबन्ध निदेशक, अल्ट्राटेक सीमेंट लि० अहूरा सेन्टर, बी-विंग, 2 फ्लोर, महाकाली केव्स, अंधेरी (ईस्ट) मुंबई-400093
- 9- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को गजट में प्रकाशित कर उसकी 15 मुद्रित प्रतियां राजस्व अनुभाग-1 उ०प्र० शासन को उपलब्ध कराएं।

10- गार्ड फाइल।



आज्ञा से,



संयुक्त सचिव

For UltraTech Cement Limited


(Authorised Signatory)